



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35444-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 2919 वर्ष 2026

मयंक शेखर सिंह

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

याची के अधिवक्ता

: आर्यन श्रीवास्तव

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता

: अशुतोष कुमार पांडेय, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अशुतोष कुमार पांडेय को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रारम्भ में ही याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष यह कथन किया गया कि वे वर्तमान रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तथा इसे बेहतर विवरण के साथ पुनः दाखिल करने की स्वतंत्रता सहित प्रत्याहृत करने की अनुमति चाहते हैं।
3. प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. को उक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपर्युक्त परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका को उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ प्रत्याहृत मानते हुए निरस्त किया जाता है।
5. याची के विद्वान अधिवक्ता को नियमों के अनुसार अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां वापस की जाएं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याची द्वारा कोई नवीन याचिका प्रस्तुत की जाती है, तो उसकी प्रति प्रत्यर्थी संख्या 4 के अधिवक्ता को उपलब्ध कराई जाएगी।

दिनांक : 17 फरवरी 2026

वी.के.जी.

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव)

(न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”